

फर्द अहकाम

वासुदेव बनाम सीसी क्रि०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण संख्या 66 / 2022

मा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/12/22	<p>शुल्क वाद में वकील उमरपडा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को उद्धृत करने से शुल्क वाद विधी उदा जाकर खारिज किया जा चुका है। शुल्क वाद खारिज होने से उक्त प्रमाण अर्थात् निवेदन का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज उदा जा रहा है। पगावली निर्णित सुमार के रजि नेशन से कम है व शुल्क वाद के समुचित है।</p>	<p>(वासुदेव) T.M. Verma</p>

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)